न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल.आर.गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 22/2018 अपील

श्री रामदयाल पिता हरजी गुर्जर निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा –अपीलार्थी	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाडा –रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार ाहपुरा बमामले
प्रकरण सं0 142/2017 निर्णय दिनांक 10.01.2018

उपस्थित –

श्री बी. एल. गुर्जर अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 02.05.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार शाहपुरा बमामले प्रकरण सं0 142/2017 निर्णय दिनांक 10.01.2018 के खिलाफ दिनांक 15.02.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का बिलिया तहसील शाहपुरा द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व रिपोर्ट दी गई कि ग्राम बिलिया में स्थित सरकारी बिलानाम आराजी नम्बर 18 रकबा 1.49 हैक्ट. किस्म बंजड़ पर अवैध तरीके से कब्जा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट के विरूद्व अतिक्रमण की कार्यवाही शुरू की तथा धारा 91 (3) भू राजस्व अधिनियम 1956 का नोटिस अपीलाण्ट को दिया गया। अपीलाण्ट सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहा तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा ने अपीलाण्ट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर पटवारी के बयान अभिलिखित किये गये जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

शाहपुरा ने अपीलाण्ट को नियमित अतिचारी मानते हुए पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 3 माह का सिविल कारावास एवं अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । इस निर्णय एवं आदेश की अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा कोई नोटिस तामील नहीं करवाया गया था । इस प्रकार अपीलाण्ट को बिना सूचना दिये व बिना सुने ही आलौच्य निर्णय एवं आदेश पारित किया हैं जो कानून एवं वाकियात के विरूद्व होने योग्य हैं। उक्त निर्णय में विवादित आराजी नम्बर 18 रकबा 1.49 के किसी भी भू भाग पर अपीलाण्ट को कोइ अतिक्रमण नहीं हैं , न ही पिछले वर्षों में अतिक्रमण ही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के व मौका दिखाये अपीलाण्ट को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानकर जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी मान अपीलाण्ट को 03 माह का सिविल कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया जो निरस्त योग्य हैं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं हैं , जिससे यह साबित होता हो कि अपीलाण्ट का इस विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण रहा हो । अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं था और न कभी रहा , न ही वर्तमान में हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाये बिना ही , बिना किसी आधार के विवादित भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानकर आलौच्य निर्णय एवं आदेश अपीलाण्ट के विरूद्व पारित किया जो निरस्त होने योग्य हैं । अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.01.2018 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलाण्ट को दिये गये सिविल कारावास व अर्थदण्ड को माफ फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.02.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड़ तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बिलिया में स्थित सरकारी बिलानाम आराजी नम्बर 18 रकबा 1.49 हैक्ट. किस्म बंजड़ पर अवैध तरीके से कब्जा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट के विरूद्व अतिक्रमण की कार्यवाही शुरू की तथा धारा 91 (3) भू राजस्व अधिनियम 1956 का नोटिस

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

अपीलाण्ट को दिया गया । अपीलाण्ट सूचना के बावजूद अनुपस्थित रहा तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा ने अपीलाण्ट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर पटवारी के बयान अभिलिखित किये गये जिसके बाद अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा ने अपीलाण्ट को नियमित अतिचारी मानते हुए पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 3 माह का सिविल कारावास एवं अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । इस निर्णय एवं आदेश की अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा कोई नोटिस तामील नहीं करवाया गया था । इस प्रकार अपीलाण्ट को बिना सूचना दिये व बिना सुने ही आलौच्य निर्णय एवं आदेश पारित किया हैं जो कानून एवं वाकियात के विरूद्व होने योग्य हैं। उक्त निर्णय में विवादित आराजी नम्बर 18 रकबा 1.49 के किसी भी भू भाग पर अपीलाण्ट को कोइ अतिक्रमण नहीं हैं , न ही पिछले वर्षों में अतिक्रमण ही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के व मौका दिखाये अपीलाण्ट को विवादित भूमि का अतिक्रमी मानकर जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी मान अपीलाण्ट को 03 माह का सिविल कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया जो निरस्त योग्य हैं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं हैं , जिससे यह साबित होता हो कि अपीलाण्ट का इस विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण रहा हो । अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं था और न कभी रहा , न ही वर्तमान में हैं। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाये बिना ही , बिना किसी आधार के विवादित भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानकर आलौच्य निर्णय एवं आदेश अपीलाण्ट के विरूद्व पारित किया जो निरस्त होने योग्य हैं । अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.01.2018 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलाण्ट को दिये गये सिविल कारावास व अर्थदण्ड को माफ फरमाया जावे ।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि श्री रामदयाल पिता हरजी गुर्जर निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा के द्वारा ग्राम बिलिया की सरकारी बिलानाम आराजी नं. 18 रकबा 7.47 हैक्ट. भूमि किस्म बंजड़ में से 1.49 हैक्ट. भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण सं. 142/2017 दर्ज कर धारा 91 के तहत

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

नोटिस जारी कर रामदयाल गुर्जर द्वारा पश्चातवर्ती अतिचार करने के कारण 03 माह के सिविल कारावास एवं शास्ति 100/–रू. से दिनांक 10.01.2018 को दण्डित किया गया है जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम बिलिया तहसील शाहपुरा की सरकारी बिलानाम आराजी नं. 18 रकबा 7.47 हैक्ट. भूमि राजस्व रिकार्ड में किस्म बंजड़ दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार शाहपुरा के निर्णय अनुसार अतिक्रमी का उक्त आराजी नं. 18 में रकबा 1.49 हैक्ट. भूमि पर संवत् 2073 खरीफ में भी अतिक्रमण होने पर बेदखल किया । पुनः इसी आराजी पर संवत् 2074 खरीफ में अतिक्रमण किया। इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से 03 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया हैं एवं 100/– शास्ति आरोपित की गयी । उक्त आराजी किस्म बंजड़ भूमि है। अतिक्रमी की देखा देखी कर अन्य व्यक्ति भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रयासरत है ।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 18 रकबा 1.49 हैक्ट. भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया । नियत पेशी दिनांक को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस तामील होने के बावजूद सूचना के उपस्थित भी नहीं हुआ। जिससे अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 03 माह के सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 100/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश भी पारित किया गया था। इससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त सरकारी बिलानाम बजंड़ भूमि पर अनाधिकृत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का अपराध किया है।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश से दण्डित करते हुए शास्ति का आरोपण किया जाकर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण पर 03 माह के सिविल कारावास की सजा से व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर

अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया गया हैं वह युक्तियुक्त होकर विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसमे कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाने योग्य हैं एवं अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार शाहपुरा बमामले प्रकरण सं0 142/2017 निर्णय दिनांक 10.01.2018 के क्रम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.01.2018 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड़ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/05/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)